न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दूबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 50/18
सुनवाई दिनांक 13/08/2018
निर्णय दिनांक 14/01/2019

बसनवान

1. अशोक कुमार उम्र 47 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. धर्मराज उम्र 42 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. कृष्ण कुमार उम्र 39 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. मुकेश कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. रामभगवान उम्र 31 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
6. जनताबाई उम्र 40 वर्ष पुत्री घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
7. संतोष बाई उम्र 37 वर्ष पुत्री घनश्याम जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. घनश्याम उम्र 68 पुत्र रामचन्द्र जाति किराड़ निवासी दीमोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,व 188 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक :–14.01.2019

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर0टी0ए0 जरिये एडवोकेट एन0के0 शर्मा ने इस आशय को पेश किया कि–

1. यह कि वादीगणों एवं प्रतिवादी क्रम –1 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति किराड़ निवासी दीमोदपार के शामलाती खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम दीमोदपार पटवार हल्का दीमोदपार के माल में खाता संख्या नई 85 पुरानी 8 खसरा नं0 27 रकबा 1.06 बीघा,खसरा नं0 28/2 रकबा 15.13,खसरा नं0 231/1 रकबा 1.02 बीघा,खसरा नं0 274 रकबा 1.00 बीघा,खसरा नं0 779 रकबा 1.03 बीघा,खसरा न0 1300 रकबा 0.09 खसरा 1596/1310 रकबा 8.00 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 28.13 बीघा जिसमे मेरे पक्षकारान का पारिवारिक राजरे अनुसार 1/8,1/8 हिस्सा,एवं आराजी खाता संख्या नई–86 पुरानी 94 खसरा नं0 286 रकबा 0.16 बीघा,खसरा नं0 412 रकबा 0.14 बीघा,ख0न0 601 रकबा 11.01 बीघा,ख0नं0. 635 रकबा 4.08 बीघा खसरा नं0 656 रकबा 3.11 बीघा,खसरा नं0 681 रकबा 0.19 बीघा, ,खसरा नं0 776 रकबा 0.11 बीघा, ,खसरा नं0 931 रकबा 0.11 बीघा, ,खसरा नं0 932 रकबा 1.18 बीघा, ,खसरा नं0 933 रकबा 11.07 बीघा, ,खसरा नं0 934 रकबा 0.18 बीघा, ,खसरा नं0 938 रकबा 0.03 बीघा, ,खसरा नं0 945 रकबा 1.07 बीघा, ,खसरा नं0 946 रकबा 1.14 बीघा, कुल खसरा 14 कुल रकबा 39.18 बीघा जिसमें मेरे पक्षकारान का पारिवारिक राजरे अनुसार 1/8 हिस्सा पुश्तैनी निहित है जो वर्तमान में वादीगणों के पिता प्रतिवादी क्रम–1 के नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 एक ही कुटुम्ब एवं संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं विवादित पुश्तैनी आराजी में संयुक्त अधिकार रखते है। जिनका पारिवारिक राजरा निम्न प्रकार है।

रामचन्द्र दादाजी (मृतक)
|
घनश्याम पिताजी
|
अशोक कुमार (पुत्र), धर्मराज (पुत्र), कृष्णकुमार (पुत्र), मुकेश कुमार (पुत्र), रामभगवान (पुत्र), जनता बाई (पुत्री), संतोषबाई (पुत्री)

वादीगण प्रतिवादी क्रम–1 के पुत्र एवं मृतक रामचन्द्र जी के पोत्र–पोत्री है। वादीगणों को प्रतिवादी क्रम–1 ने दो वर्षो अपने घर से अलग कर परित्याग कर रखा है। वर्तमान में सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी वादीगणों के पिता प्रतिवादी क्रम–1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जि. बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

के नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसकी सम्पूर्ण आय को वादीगणों के पिता प्रतिवादी क्रम–1 अर्जित करते चले आ रहे है,वादीगणों को आय मे से कोई राशि नही देते है। इस कारण वादीगणों के बच्चों एवं परिवार का सम्पूर्ण लालन पालन व देखभाल की व्यवस्था में वादीगणों को भारी परेशानियों का समाना करना पड रहा है। वर्तमान मे वादीगण उधार लेकर छोटा मोटा काम कर, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने पर मजबूर है।

3. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब एंव संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है, एवं विवादित पुश्तैनी आराजी मे संयुक्त अधिकार रखते है। प्रतिवादी क्रम –1 द्वारा वादीगणों के परिवार 2 वर्षों से अपने से अलग कर रखे है तथा वादीगणों द्वारा पुश्तेनी विवादित आराजी मे से अपने 1/8,1/8 हिस्से की पुश्तेनी आराजी देने हेतु प्रतिवादी क्रम–1 से मौखिक रूप से कई बार निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी क्रम–1 ने वादीगणों से विवादित आराजी पृथक पृथक करवाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं विवादित पुश्तेनी आराजी मे संयुक्त अधिकार रखते है। वादीगण अपने अधिकारों एवं परिवार की सुरक्षा हेतु अपने हिस्से की पुश्तैनी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने अपने खातेदारी की आराजी को राजस्व रिर्कार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने एवं प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एंव नालिशी है।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 05.07.2018 को वादीगणों द्वारा प्रतिवादी क्रम–1 से अपने हिस्से की विवादित आराजी पृथक पृथक करवाने का मौखिक रूप से निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगणों से विवादित आराजी उनके जीवनकाल तक कभी भी वादीगणों के नाम करवाने से इन्कार करने पर ग्राम दीगोदपार मे उत्पन्न हुआ है।

5. यह कि राजस्थान सरकार को जरिये जिला कलेक्टर महोदय,बारां धारा 80सी0पी0सी0 का विधिक नोटिस जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.07.2018 को प्रेषित करवा दिया है। किन्तु वादपत्र अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण मियाद नोटिस के अवसान से पूर्व ही न्यायालय की स्वीकृति से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान् की स्वीकृति हेतु धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

6. यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने से उसे वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि न्यायालय श्रीमान् को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

8. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रम–1 निम्न आशय का सादिर डिग्री फरमाया जावें:–

(अ) कि वादीगणों को ग्राम दीगोदपार के माल की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित पुश्तैनी आराजी में पारिवारिक सजरा अनुसार वादीगणों का उपरोक्तानुसार 1/8,1/8 हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे वादीगणों के खातेदारी की आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में वादीगणों के नाम अंकन किया जावे।

(ब) कि अन्य न्यायोचित सहायता भी वादीगणों को प्रदान की जावे जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझें।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादीगण उपस्थित हुये। वादीगण/प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि–

1 यह कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में वादीगणों एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी तपसीय से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी को 1/8,1/8 हिस्सा वादीगणों को देने में कोई आपत्ति नही है। ग्राम दीगोदपार की आराजी खाता संख्या नं0 नई 85 पुरानी 8 कुल किता 7 कुल रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या नई 86 पुरानी 94 कुल किता 14 कुल रकबा 39.18 बीघा पुश्तैनी आराजी मे से वादीगणों एवं प्रतिवादी के मध्य 1/8 1/8 हिस्सा अनुसार डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 को विरासत मे अपने पिता से प्राप्त हुई है तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम –1 के पुत्र पुत्रीयां है, जिनका विवादित पुश्तैनी आराजी में 1/8,1/8 हिस्सा विरासत मे बनता है।

अतः वादीगणों एवं प्रतिवादी क्रम–1की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त उनवान के वाद पत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर 1/8,1/8 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी के नाम विवादित आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 39.18 बीघा का एवं कुल किता 7 कुल रकबा 28.13 बीघा वादीगणों एवं प्रतिवादी–1 के मध्य विभाजन करने के आदेश प्रदान कर राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करे। वादीगण की पहचान अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने की प्रतिवादी पक्षकारान की पहचान एडवोकेट रामकिशन नागर ने की राजीनामा तस्दीक किया,शामिल दस्तखत किया वादीगण/प्रतिवादी के मध्य हुये राजीनामा अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत 88,89,90,188 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है एवं इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि ग्राम पटवार हल्का दीगोदपार की आराजी खसरा नं0 27 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नं0 28/2 रकबा 15.13 बीघा, खसरा नं0 231/1 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं0 274 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 779 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं0 1300 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं0 [illegible]/1310 रकबा 8.00 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 28.13 बीघा एवं खसरा नं0 286 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं0 601 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं0 635 रकबा 4.08 बीघा, खसरा नं0 656 रकबा 3. [illegible] बीघा, खसरा नं0 681 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नं0 776 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं0 931 रकबा 0.11 बीघा, खसरा

अधिकारी

Scanned by CamScanner

नं0 932 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नं0 933 रकबा 11.07,खसरा नं0 934 रकबा 0.18 बीघा,ख0न0 938 रकबा 0.03,ख0न0 945 रकबा 1.07 बीघा,ख0न0 946 रकबा 1.14 बीघा कुल खसरा 14 कुल रकबा 39.18 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/8,1/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का तहसीलदार किशनगंज को आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.01.14 12:30:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: